न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 89/2022

1 हीराराम पुत्र श्री गोरूराम उम्र 77 साल जाति कुम्हार निवासी जुहारपुर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामूराम पुत्र श्री गोरूराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
2 दयालाराम पुत्र श्री गोरूराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.। दौराने अपील मृतक
2/1 अर्जुनराम पुत्र स्व. दयालाराम
2/2 भंवरलाल पुत्र स्व. दयालाराम
2/3 महावीर पुत्र स्व. दयालाराम
2/4 संजय कुमार पुत्र स्व. दयालाराम
2/5 शान्ति देवी पुत्री स्व. दयालाराम
2/6 नानुदेवी पत्नी स्व. दयालाराम
समस्त जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज. ।
3 चन्दगीराम पुत्र श्री घड़सीराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
4 जीताराम पुत्र श्री घड़सीराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
5 मंगेजाराम पुत्र श्री घड़सीराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
6 मालाराम पुत्र श्री घड़सीराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 हेतराम पुत्र श्री घड़सीराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
8 मंगलाराम पुत्र श्री गोरूराम जाति कुम्हार निवासी जुहारपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
9 श्रीमान तहसीलदार रेवेन्यू अधिकारी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।
10 मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जाबासर जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर जिला झुन्झुनू दावा रामूराम बनाम दयालाराम
वगै. दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 127/2019
निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 26.04.2022

उपस्थिति :

1. श्री राजेश मीणा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कुलदीप सिंह बुगालिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.12.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 127/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 90, 91, 92, 94, 96, 97, 147 वाके ग्राम जुहारपुरा तहसील मलसीसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन प्रस्तावानुसार अन्तिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट नें तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.04.2022 इसलिए भी खारिज होने योग्य है क्योंकि प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.02.2020 पर अपीलान्ट पर पत्रावली की ऑर्डरशीट दिनांक 26.04.2022 को देखने से साफ–साफ जाहिर है कि उक्त प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार मलसीसर द्वारा जारी बंटवारा विभाजन के प्रस्ताव पर अपीलान्ट को नहीं सुना गया तथा न ही अपीलान्टस की सहमति व असहमति दिखाई गई मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 वादी ने रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 7 से सांठ गांठ कर आर्डरशीट पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 7 ने प्राथमिक डिक्री व विभाजन प्रस्ताव पर नो–ऑब्जेक्शन करवाकर अपीलान्ट का पक्ष सुने वगे. अंतिम डिक्री व निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जो अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने उक्त दावा में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर भी वगै. किये निर्णय पारित कर दिया जबकि उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर व सहमति नहीं थी तथा न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार मलसीसर व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपीलान्ट को सूचित किया और न ही अपीलान्ट मौके पर मौजूद था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि जो विभाजन प्रस्ताव में रास्ता दर्शित किया गया है उसमें अपीलान्ट की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 92 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे अपीलान्ट के पड़ोसी काश्तकार फूलाराम की भूमि से होकर मौके पर प्रचलित चालू रास्ता है जो जुहारपुरा से लोसणा जाता है जो उक्त दावा में स्थित भूमि जैर बहस खसरा नम्बर 92 जो अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा खसरा नम्बर 90 दयालाराम की भूमि के रास्ता लगता है जो प्रचलित रास्ता है उक्त रास्ते को छोड़कर दुबारा विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट की भूमि में जो बेवजह रास्ता दर्शाया गया है वह कानूनन गलत है क्योंकि वही रास्ता पिछे भूमि खसरा नम्बर 96 व 94 में प्रचलित रास्ता है जो आगे अपीलान्ट की पड़ोसी काश्तकार फूलाराम की भूमि में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 90 के सहारे सहारे मौके पर चालू है इसलिए उक्त आराजी में दूसरा रास्ता दर्शाये जाने की कोई आवश्यकता नही थी मात्र अपनी सहुलियत और पड़ोसी काश्तकार को फायदा पहुंचाने की नियत से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विभाजन प्रस्ताव में दर्ज करवाया है जबकि अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 92 में जो रास्ता की सीमा में भारी बड़े–बड़े कीमती पेड़ खड़े है जो अपीलान्ट ने बहुत मेहनत से अपने खेत की मेड़ पर लगाये है जो मौके पर फल फूल रहे है। यदि दर्शित रास्ते को मौके पर कायम किया जावेगा तो अपीलान्ट द्वारा लगाये गये पेड़ नष्ट हो जायेंगे इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश विरूद्ध कानूनन व पत्रावली होने के कारण खारिज होने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 97 जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 7 की कब्जे काश्त की भूमि है जिसके दक्षिणी सीमा से होता हुआ प्रचलित रास्ता मौकें पर मौजुदा है जो जुहारपुरा से बिसाऊ जाता है उक्त प्रचलित रास्ता से रेस्पोडेन्ट 1 के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 91 में रास्ता शुरू से लेकर आज तक चालू था। लेकिन बंटवारा विभाजन में उक्त रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 92 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दर्ज कर दिया। जो विरूद्ध कानूनन होने के कारण गलत बंटवारा विभाजन के आधार पर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट/वादी नम्बर 1 ने बंटवारा विभाजन की आड़ की में रेस्पोडेन्ट नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 लगायत 7 से सांठ गांठ कर बंटवारा विभाजन में अपीलान्ट को मुगालते में रखते हुए गलत रास्ता दर्ज करवाया है जो कानूनन विरूद्ध पत्रावली होने के कारण खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में आदेशिका पर अपीलांट हीराराम के हस्ताक्षर है। अपीलांट की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में रास्ते का प्रावधान रखते हुए तैयार किये गये है। इस विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलांट हीराराम के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में आदेशिका पर अपीलांट हीराराम के हस्ताक्षर है। अपीलांट की सहमति से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में रास्ते का प्रावधान रखते हुए तैयार किये गये है। इस विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलांट हीराराम के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं सतझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)